

## प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 13.04.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना शिवली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-89/24 धारा 302 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ डिमपल पुत्र अजीत पाल सिंह चंदेल निवासी लालपुर शिवराजपुर थाना शिवली जनपद देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.गोलू पुत्र घसीटे निवासी मुखलिसपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात 2. अरुण कुमार पुत्र छोटे लाल निवासी मुखलिसपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात अभियुक्तगण के कब्जे से तीन अलग अलग पिपिया में 20 – 20 लीटर कुल 60 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 166/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त विश्राम सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम अमरसिंह का पुरवा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 126/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त छोटे पुत्र झूरी निवासी ग्राम स्योदा थाना गजनेर कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर( दो सफेद पिपियों में 10-10 लीटर) कच्ची नाजायज देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 79/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त हरिशंकर सिंह उर्फ प्रवीण कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम जूनिया थाना गजनेर कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 80/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त सत्यम सिंह पुत्र भूर्ति सिंह निवासी ग्राम जूनिया थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 50 अदद क्वार्टर देशी शराब ट्विन टावर नाजायज

बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 81/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना गजनेर पुलिस द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र कटियार पुत्र स्व0 चतुर्भुज कटियार निवासी जैनपुर पेपर मिल हिम्मापुरा के बगल में दीपान्शू भोजनालय थाना गजनेर कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर( दो सफेद पिपियों में 10-10 लीटर) कच्ची नाजायज देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 82/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त गंगाराम पुत्र वासुदेव संखवार निवासी ग्राम बिबियापुर थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के पास 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 53/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त नूर मोहम्मद पुत्र फूल बक्स निवासी ग्राम बिछवली थाना अमराहट जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के पास से 40 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 90/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना राजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम पैलावर थाना राजपुर कानपुर देहात अभियुक्त के पास 30 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 39/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त विनोद पुत्र स्व0 तनकमन निवासी कस्बा व थाना बरौर जनपद कानपुर देहात अभियुक्त के कब्जे से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 31/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सन्नी बाबू दिवाकर पुत्र रामगोपाल निवासी ग्रा0 कौरु मौहम्दपुर थाना मंगलपुर जिला कानपुर देहात अभि0 के पास नाजाजय 40 लीटर कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 110/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 16 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रनियां पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों, थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।